VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR
VANI

HEINRICH BÖLL STIFTUNG INDIA

वित्तीय समावेश की आलेचनात्मक समीक्षा

G20

के देशों में – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए

द्वारा

डॉ. मज़हर हुसैन, कार्यकारी निदेशक, कंफड़रेशन ऑफ वालंटरी एसोसिएशनस
निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

रिसर्च एसोसिएट

रॉबरटो जी लस्करॉवॉट, न्यूयार्क विश्व विद्यालय, अबू धाबी

अनुसंधान सहायक

एम. मुरली कृष्णा
सॉफ्टवेयर सलाहकार

वित्तीय समाचेश की आलेचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश

लेखन : डॉ. मज़हर हुसैन, कंफड़रेशन ऑफ वालंटरी एसोसिएशनस
रॉबरटो जी लस्करॉवॉट, न्यूयार्क विश्व विद्यालय, अबू धाबी
एम. मुरली कृष्णा, सॉफ़्टवेयर सलाहकार

अक्टूबर 2014

कॉपीराइट © वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
इस पुस्तक की विषय वस्तु को प्रकाशक का उचित आभार प्रकट करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

सहयोग : "हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ)

हिन्दी अनुवाद : डॉ. यश चौहान

प्रकाशकः
वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव 2,
नई दिल्ली 110 048
फोन : 011–29228127, 29226632
टेलिफैक्स : 011–41435535
ईमेल : info@vaniindia.org
वेबसाइट : www.vaniindia.org

मुद्रकः
प्रिंट वर्ल्ड # 9810185402
ईमेल : printworld96@gmail.com

आमुख

भारत विश्व की एक सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ढांचे के एक नेता के रूप में अतंर्राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता हासिल करता जा रहा है। ब्रिक्स, जी–20 और इबसा जैसे मंचों के माध्यम से भारत अपने आप को 2015 के बाद के विकास मुद्दों को प्रभावित करने और रूप प्रदान करने की स्थिति में पा रहा है। इन मंचों पर भारत की आवाज को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए यह जरूरी है कि उसके स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुभव और सरोकारों को ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र को भूमंडलीय मुद्दों की पेचीदगियों को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली परिचर्चाओं और प्रक्रियाओं को समझना होगा।

इसी संदर्भ में वाणी ने अपने साझेदार संगठनों के साथ मिल कर इन चार विषयगत मुद्दों पर अध्ययन कराएरू समावेशपूर्ण विकास, वित्तीय समावेश, सतत विकास और भ्रष्टाचार तथा अभिशासन। इन अध्ययनों के फलस्वरूप प्रशिक्षित चार रिपोर्टों का उद्देश्य भारत के स्वैच्छिक क्षेत्र की ओर से 2015 के बाद के एजेंडा के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कराना है; और इस उद्देश्य से इन्हें संबंधित मंत्रालयों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों की सामग्री में जोड़ा जाएगा।

यह महसूस किया गया कि रिपोर्टों को व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए नीतिगत सारांशों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद नीतिगत सारांशों का हिन्दी में अनुवाद भी किया गया। हमें आशा है कि इन नीतिगत सारांशों के माध्यम से हम भारत में छोटी और जमीनी स्तर की संस्थाओं को कार्य में संलग्न करके, शिक्षित और प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और निर्णय प्रक्रियाओं के बारे में उनके बीच मौजूद कमियों को दूर करके कर सकते हैं और घरेलू और भूमंडलीय स्तर पर स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज को प्रस्तुत कर सकते हैं।

हर्ष जेतली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

साझेदार संगठन	लेखक	विषयगत मुद्दा	शीर्षक
वादा न तोड़ो अभियान	राहुल बैनर्जी	समावेशपूर्ण संवृद्धि	बहिष्कृत लोगों को शामिल करना – भारत में समावेशपूर्ण संवृद्धि सुनिश्चित करना
डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स	डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स	सतत विकास	भारत में सतत विकास – समीक्षा और आगे की प्रक्रिया
सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया)	मनोज राय	भ्रष्टाचार और अभिशासन	भारत में भ्रष्टाचार और अभिशासन – वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया
कंफड़रेशन ऑफ वालंटरी एसोसिएशनस (कोवा)	डॉ. मज़हर हुसैन, रॉबरटो ज़ी लस्करॉवॉट, एम. मुरली कृष्णा	वित्तीय समावेश	वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश

वित्तीय समावेश

वित्तीय समावेश का अर्थ है बचत और लेनदेन के उद्देश्य से बैंक लेखा, उत्पादक, व्यक्तिगत और अन्य उद्देश्यों से निम्न लागत पर ऋण, वित्तीय परामर्श सेवाएं, सभी नागरिकों – विशेषकर निर्धनों और सीमांतीकृत लोगों के लिए बीमा सुविधाएं (जीवन और गैर–जीवन)।

वित्तीय समावेश के लाभ

वित्तीय समावेश जनसंख्या के विशाल हिस्सों को – विशेषकर निर्धनों और सीमांतीकृत लोगों को शामिल करके वित्तीय प्रणालियों के संसाधन आधार को व्यापक बनाता है जिससे बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध पूंजी में कई गुना वृद्धि होती है। निम्न आय वाले समूहों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे के अंदर लाकर यह इन समूहों की वित्तीय संपत्ति की सुरक्षा करता है और संकट की परिस्थितियों में सूदखोर साहूकारों द्वारा असुरक्षित समूहों के शोषण को कम करता है।

एक समावेशपूर्ण और ठोस बैंकिंग प्रणाली कृषि, व्यापार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है और उद्योग भी अपने विकास के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भर करता है।

जी 20 देशों में वित्तीय समावेश

जी 20 देशः वित्तीय समावेश के प्रतिशत का तुलनात्मक विश्लेषण

विकासशील देश	एक औपचारिक वित्तीय संस्था पर खाता (प्रतिशत)	एक औपचारिक वित्तीय संस्था पर खाता, महिलाएं (प्रतिशत)	एक औपचारिक वित्तीय संस्था पर खाता, निचले 40 प्रतिशत (प्रतिशत)
अर्जेंटीना	33	32	23
ब्राजील	56	51	40
चीन	64	60	47
भारत	35	26	27
इंडोनेशिया	20	19	10
मैक्सिको	27	22	12
रूस	48	48	40
सऊदी अरब	46	15	37
दक्षिण अफ्रीका	54	51	41
तुर्की	58	33	51
माध्य प्रतिशत	44.1	35.7	32.8

वित्तीय समावेश की आलोचनात्मक समीक्षा – भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी 20 के देश नीतिगत विवरण			
विकसित देश	एक औपचारिक वित्तीय संस्था पर खाता (प्रतिशत)	एक औपचारिक वित्तीय संस्था पर खाता, महिलाएं (प्रतिशत)	एक औपचारिक वित्तीय संस्था पर खाता, निचले 40 प्रतिशत (प्रतिशत)
आस्ट्रेलिया	99	99	98
कनाडा	96	97	93
फ्रांस	97	97	96
जर्मनी	98	99	98
इटली	71	64	68
जापान	96	97	95
कोरिया गणतंत्र	93	93	89
ब्रिटेन	97	98	96
अमेरिका	88	84	82
माध्य प्रतिशत	92.78	92	90.56

सभी जी 20 देशों पर एक नजर डालने पर यह प्रकट होता है कि निम्नलिखित मुद्दे सदस्य देशों के लिए समान हैं:

1. वित्तीय समावेश के उच्च स्तर वाले विकसित देशों सहित, सभी देशों में आबादी के बीच – विशेष कर निर्धन लोगों और दूरदराज के इलाकों के बीच – वित्तीय साक्षरता का अपर्याप्त स्तर है जिसकी वजह से लोग सार्वभौम रूप से वित्तीय संस्थाओं से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते।
2. अधिकतर देशों का भौगोलिक विस्तार ग्रामीण और दूर–दराज के इलाकों के लोगों के लिए बैंकिंग सुविधा प्राप्त करना कठिन बना देता है।
3. निम्न आय वाले समूह – चाहे वे जहां भी रहते हों – वित्तीय संस्थाओं से बहिष्कृत हैं।
4. वित्तीय संकट और बैंकों की विफलता के कारण कुछ देशों में लोग औपचारिक वित्तीय संस्थाओं पर अपना विश्वास खोते जा रहे हैं और बैंकों से अपना पैसा निकाल कर बचत के वैकल्पिक स्रोत अपना रहे हैं। जी 20 देशों के छह देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं और इनमें तीन विकासशील देश – अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब तथा विचित्र बात यह है कि तीन विकसित देश – अमरीका और उसके बाद इटली तथा फ्रांस – भी शामिल हैं।

किंतु निम्नलिखित पांच रणनीतियां अपना कर सभी जी 20 देशों में वित्तीय समावेश

के मुद्दे को हल करना संभव लगता है:

क) स्कूल, कॉलेज और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के अंग के रूप में वित्तीय शिक्षा आरंभ करना

ख) वित्तीय तनाव की अवधियों से निबटने के लिए सभी नागरिकों को ओवर ड्राफ्ट सुविधाएं और इस तरह अनौपचारिक वित्तीय संस्थाओं और सूदखोरों के पास जाने की जरूरत को समाप्त करना

ग) वित्तीय समावेश के लिए बैंकों में समर्पित कर्मचारी और सामाजिक बैंकिंग के लिए सरकार से सब्सीडी

घ) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच बनाने के लिए अर्ध–बैंकिंग संस्थाओं का उपयोग, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, सहकार, पोस्ट आफिस आदि

ङ) टेक्नोलॉजी के उपयोग, विशेषकर इंटरनेट और मोबाइल के उपयोग को बढ़ाना ताकि बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके

च) अधिक पारदर्शिता और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकिंग प्रणाली पर और अधिक नियमनकारी नियंत्रण ताकि वित्तीय संकटों को रोका जा सके

भारत में वित्तीय समावेश: एक आलोचनात्मक समीक्षा

वाणिज्यिक बैंक, सहकार और अनौपचारिक वित्त

आजादी के 67 वर्ष बाद भी भारत में बैंकिंग की स्थिति विकसित नहीं हैं। केवल 58 प्रतिशत भारतीय परिवारों और 31 प्रतिशत भारतीय आबादी के 2013 में बैंक खाते थे।

इतना ही नहीं, 43 प्रतिशत ग्रामीण परिवार वर्ष 2002 में अनौपचारिक वित्त पर निर्भर थे।

एक अनौपचारिक ग्रामीण वित्त बाजार के जारी रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मौजूदा वित्तीय संस्थाएं कृषि कार्यों के लिए सीमित मात्रा मे ऋण देती हैं क्योंकि कृषि को जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। जो लोग ग्रामीण ऋण बाजार में हैं वे ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों के उपयोग को पसंद करते हैं जो कि इस तथ्य के बावजूद है कि उन्हें ब्याज दरें उच्चतर पड़ती हैं। अनौपचारिक स्रोत बैंकों

की तरह समय पर भुगतान नहीं मांगते और कर्ज देने को तैयार रहते हैं और जटिल नियमों के पालन पर जोर नहीं देते।

वित्तीय समावेश – भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) नीति पहलकदमी

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं की सुलभता को बढ़ाने के लिए नवाचारपूर्ण नीतिगत पहलकदमियां की हैं।

आरबीआई ने देश में बेहतर वित्तीय समावेश के लिए एक बैंक चालित मॉडल अपनाया है और नियमनकारी बाधाओं को हटा दिया है। इसके अलावा, लक्ष्य हासिल करने के लिए आरबीआई ने एक अनुकूल नियमनकारी वातावरण तैयार किया है और वित्तीय समावेश प्रयासों को तीव्र करने के लिए बैंकों को संस्थागत सहायता प्रदान की है।

इसके साथ ही आरबीआई ने "सामाजिक रूप से अवपीड़क" नीतियां भी अपनाई हैं जैसे कि बैंकों के लिए यह आवश्यक करना कि जिन ग्रामीण, अर्ध–शहरी क्षेत्रों में बैंक नहीं हैं वहां कम से कम तीन शाखाएं खोलना। ऐसी नीतियों के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र का अच्छा फैलाव हुआ और 31 मार्च 2013 तक 1,02,343 बैंक शाखाएं थीं जिनमें से 37,953 (37 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में, 27,219 (26 प्रतिशत) अर्ध शहरी क्षेत्रों में और 19,327 शहरी केंद्रों में तथा 17,844 महानगरों में थीं।

अब तक बिना बैंकों वाले भौगोलिक क्षेत्रों में ऋण निर्देशित करने के अलावा, आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों – जैसे कि कृषि, लघु और कुटीर उद्योग – की पहचान करके बैंक ऋण के क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया।

वर्ष 2013 से आरंभ होने वाली नई वित्त योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग केवल जमा खातों और रेमिटेंस उत्पादों के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य उत्पादों का विस्तार करने के लिए भी किया जा सके जैसे कि ऋण जिससे बैंकों के व्यवसाय को क्षमता हासिल होगी।

वित्तीय समावेश के लिए मुख्य पहलकदमियां

केवाईसी (अपना ग्राहक जानें) मानदंडों में ढील

आरबीआई ने विशेषकर छोटे खातों के लिए, जो 50,000 रु. से अधिक के न हों और

खातों में क्रेडिट वर्ष में 1,00,000 से अधिक न हो, बैंक खाता खोलना आसान बनाया है। इसके अलावा, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे बैंक खाता खोलने के लिए परिचय हेतु जोर न दें और पहचान तथा पते के लिए आधार कार्ड का उपयोग करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग तक अधिक पहुंच

जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं हैं वहां शाखाएं खोलने की अनिवार्य शर्तः बैंकों को एक वर्ष के दौरान बिना बैंक वाले ग्रामीण केंद्रों में – जहां आबादी 5000 से 9,999 के बीच और 5,000 से कम है – कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं खोलने के लिए निर्देशित किया गया है।

आरबीआई ने बैंक शाखाओं के असमान फैलाव की समस्या को हल करने के लिए शाखा प्राधिकरण नीति का सरलीकरण किया है। इसके लिए बैंकों द्वारा शाखा खोलने के मानदंडों में यहां तक ढील दी गई है कि बैंकों को एक लाख से कम की आबादी वाले केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए पूर्व–अनुमति की जरूरत नहीं होगी; उन्हें केवल सूचित करना होगा।

आधारभूत बचत खाता जमा (डीएसबीडी) लेखा

बैंकों को शून्य न्यूनतम शेष के साथ सभी व्यक्तियों के लिए आधारभूत बचत खाते उपलब्ध कराने की और साथ ही एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने, बैंक प्रभार आदि की वर्तमान बाधाएं हटा दी गई हैं और हर योग्य भारतीय नागरिक को आधारभूत बचत खाता खोलने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

इसके साथ ही वार्षिक बजट पहलकदमियों के अंग के रूप में भारत सरकार ने 11 जुलाई 2014 को घोषणा की कि वित्तीय समावेश पहल के अंग के रूप में 15 करोड़ नये बैंक खाते खोले जायेंगे जिससे इन सभी खाता धारियों को 5,000 रुपए की ओवर ड्राफ्ट सुविधा प्राप्त होगी। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को देश के सभी निर्धन और सीमांतीकृत तबकों को परिधि में लेने के लिए 75,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने होंगे। यदि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है तो इससे भारत में वित्तीय समावेश के इतिहास मे एक नया अध्याय खुल जायेगा।

व्यवसाय सह–संबंधी (बीसीज)

और अधिक वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के लिए बैंकों को व्यवसाय सुगमकर्ता और करेसपोंडेंट मॉडल के उपयोग द्वारा वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों के रूप में गैर–सरकारी संस्थाओं, स्वयं सहायता संगठनों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं, किसान क्लबों, सहकारों, समुदाय आधारित संगठनों, पोस्ट आफिसों, बीमा एजेंटों, सुसंचालित पंचायतों, ग्राम ज्ञान केंद्रों, कृषि क्लीनिकों, कृषि विज्ञान केंद्रों, केवीआईसी/केवीआईबी इकाइयों और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

आईसीटी और एटीएम्स

देश के बिना बैंक वाले क्षेत्रों और दूरदराज के केंद्रों में कार्यक्षम और लागत–प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों को निर्देशित किया है कि आईसीटी (सूचना–संचार प्रौद्योगिकी) पर आधारित बैंकिंग सेवाएं बीसीज के माध्यम से प्रदान करें। बीसीज के माध्यम से आईसीटी–आधारित लेनदेन मार्च 2010 में 26.52 मिलियन रुपए था जो मार्च 2013 में बढ़ कर 250.46 मिलियन रुपए हो गया। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में एटीएम्स की कुल संख्या में सकल संवृद्धि वृद्धि दर (सीएजीआर) में मार्च 2010 से मार्च 2013 के बीच 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ग्रामीण एटीएम्स की संख्या 2010 के 5,196 से बढ़कर मार्च 2013 में 11,564 हो गई।

वित्तीय समावेश योजना (एफआईपीज) और वित्तीय साक्षरता केंद्र

सार्वजनिक और निजी बैंकों को सलाह दी गई है कि अप्रैल 2010 से आरंभ करके बोर्ड द्वारा मंजूर तीन वर्ष की वित्तीय समावेश योजनाएं जमा करें। इन नीतियों का उद्देश्य स्व–निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना है और आरबीआई मासिक आधार पर इन योजनाओं को मॉनीटर करता है। बैंकों को सलाह दी गई है कि उनके एफआईपीज शाखा स्तर तक के होने चाहिए ताकि वित्तीय समावेश प्रयासों में सभी हितधारकों को शामिल किया जा सके।

जून 2012 में इस परामर्शिका के साथ वित्तीय साक्षरता केंद्रों के संबंध में संशोधित मार्गनिर्देश जारी किये गये कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं को 'वित्तीय साक्षरता' और आसान 'वित्तीय पहुंच' का प्रावधान करके वित्तीय समावेश को सुगम बनाने के लिए महीने में कम से कम एक बार बाहरी वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करके वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को व्यापक बनाना चाहिए। तदनुसार ही

मार्च 2013 के अंत तक 718 एफएलसीज स्थापित किये गये हैं और अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक जागरूकता शिविरों, चौपालों, संगोष्ठियों और व्याख्यानों के माध्यम से 2.2 मिलियन लोगों को शिक्षित किया गया।

नये बैंकों की लाइसेंसिंग

नये बैंकों की लाइसेंसिंग के वर्तमान चक्र का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेश प्रयासों को बढ़ावा देना है। वित्तीय समावेश योजना नये बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड हैं। नये बैंकों को वर्तमान घरेलू बैंकों की तरह प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र ऋण लक्ष्यों और उप–लक्ष्यों का पालन करना होगा।

नये बैंक को अपनी कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बिना बैंकों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होंगी (सबसे ताजा जनगणना के अनुसार 9,999 तक की आबादी) ताकि महानगरीय क्षेत्रों में और शहरों में अत्यधिक शाखाएं होने की स्थिति से बचा जा सके।

सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबीज), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीज) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबीएस)

भारत में सहकारी ऋण ढांचे के अंतर्गत 31 मार्च 2013 तक 32 राज्य सहकारी बैंक, 370 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 92,432 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी शामिल थीं। इसके अलावा 1606 यूसीबीज, 64 आरआरबीज और 4 एलएबीएस भी हैं जो वित्तीय समावेश को सुगम बनाते हैं।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीज)

मार्च 2003 तक 12,225 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां थीं, इन्हें वैचारिक रूप से मुख्यतः ऋण/निवेश कार्यकलापों में संलग्न अर्ध–बैंक संस्थाएं समझा जा सकता है।

सूक्ष्म ऋण कार्यतंत्र

क) **एसएचजी–बैंक संपर्क का विकासः** यह मॉडल थोड़े से समय में लागत प्रभावी ढंग से और अधिक लोगों को टिकाऊ विकास के अंतर्गत लाने में मदद करता है। मार्च 2011 तक 7.46 मिलियन बचत कार्य करने वाले एसएचजीज थे जिनकी कुल बचत 70.16 बिलियन थी और 1.19 मिलियन ऋण देने वाले एसएचजीज थे जिनके द्वारा दी गई ऋण की राशि 145.57 बिलियन थी (स्रोतः नाबार्ड)। एसएचजी वाला मॉडल निर्धनता कम करने और महिला सशक्तीकरण में मदद करता है क्योंकि एसएचजीज के 60 प्रतिशत सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के हैं।

ख) एमएफआई का विकासः हालांकि आरबीआई ने वित्तीय समावेश को हासिल करने के लिए बैंक – नेतृत्व वाले मॉडल को अपनाया है, पर कुछ एनबीएफसीज को, जो सूक्ष्म – वित्त में विशेषज्ञता रखती हैं, एनबीएफसी – एमएफआईज के रूप में एनबीएफसीज के एक अलग वर्ग में मान्यता दी गई है। उनका परिसंपत्ति आकार क्रमिक रूप से बढ़कर सितंबर 2013 के अंत तक 19,000 करोड़ रु. का हो गया था।

प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्यों को उपलब्ध करने की विफलता के मुख्य कारण

कुछ बैंक अभी भी प्राथमिक क्षेत्र लक्ष्यों की पूर्ति निम्नलिखित चार प्रमुख कारणों से नहीं कर पातेः

i) आम लोगों के बीच प्राथमिक क्षेत्र अनुबंधों के अंतर्गत बैंक ऋण की अपनी हकदारी के बारे में जागरूकता का अभाव।

ii) बैंक अधिकारियों का निर्धनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर अभिमुखीकरण और संवेदीकरण नहीं हुआ है।

iii) प्राथमिकता क्षेत्र के छोटे ऋणों को – जिनकी शुरूआत कुछ हजार से होती है – संसाधित करने के लिए अतिरिक्त रूप से प्रयास नहीं किये जाते। यहां तक कि प्राथमिक क्षेत्र के ऋण देने में ध्यान बड़ी राशियों पर ही केंद्रित किया जाता है जिससे लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाते हैं और दस्तावेजीकरण का काम भी कम करना पड़ता है।

iv) यह मिथ्या सोच है कि निर्धन लोग ऋण की अदायगी में भुगतान करते हैं। आकलन यह दर्शाता है कि सबसे बड़े जोखिम और भुगतान में चूक करने वाले निगमित क्षेत्र और उद्योग हैं, निर्धन और माध्य वर्ग के ऋण लेने वाले लोग नहीं हैं।

अगर कभी निर्धन व्यक्ति भुगतान करने में चूक भी करता है तो यह राजनीतिक दलों के इशारे पर और उनके द्वारा गुमराह किये जाने की वजह से है। वे छोटे–मोटे चुनावी लाभों के लिए चुनावों से पहले ऋणों को माफ करने की घोषणा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप निर्धनों का वित्तीय अनुशासन खराब हो जाता है जो ऋण माफ होने की आशा में भुगतान करने में चूक कर देते हैं; इससे बैंक और वित्तीय संस्थाओं में उनकी प्रतिष्ठा पर उलटा असर पड़ता है और देश के वित्तीय संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

वित्तीय समावेश को कार्यान्वित न करने के कारणः मुद्दे और चुनौतियां

- वित्तीय समावेश पहलकदमियों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति का एक मुख्य कारण प्रभावकारी अभिशासन का अभाव है।
- नियमनकारी अभिशासन से स्व–अभिशासनः

  रेगुलेटर के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह उन सिद्धांतों का सूक्ष्म–प्रबंधन करे जिसके आधार पर वित्तीय समावेश मॉडल संचालित होता है। इसे स्व–नियमन और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण अपना कर हासिल किया जा सकता है।
- कर्मचारियों में जवाबदेही का अभाव और रवैये की समस्याः विशेष रूप से क्षेत्र स्तर पर। इसलिए जो काम नहीं कर रहे उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए और जो काम कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए।
- बैंकों को मॉडल का स्वामित्व अपने हाथ में लेकर जमीनी स्तर पर व्यवसाय सहयोगियों को सतत तथा पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- बीसीज द्वारा खोले गये कई खातों में कई लेनदेन अप्रभावशाली बने हुए हैं।
- बीसीज और सीएसपीज को कम भुगतान और समय पर भुगतान न किया जाना।

भारतः प्रभावकारी और सार्विक वित्तीय समावेश के लिए सिफारिशें

भारत में सार्विक (यूनिवर्सल) वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुद्दों और चुनौतियों को हल करना होगाः

मुद्दे

1. **ग्रामीण क्षेत्रों का निम्न ऋण भागः** हालांकि शाखाओं की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लगभग 30 प्रतिशत शाखाएं हैं, पर इन क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण कुल ऋण के 10 प्रतिशत से भी कम है। सरकार और बैंकों को निर्धनों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए और साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ा कर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए।

2. **प्रवासियों के लिए पर्याप्त कवरेज और ऋणः**

   - प्रवासियों को बैंक खाता खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई और व्यावसायिक बैंकों को अपनी वित्तीय समावेश योजनाओं में

प्रवासी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। संशोधित केवाईसी मानदंड प्रवासियों को बैंक खाता खोलने में मदद तो करते हैं, पर इस संबंध में अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है।

- प्रवासी आबादी के लिए आसान और सस्ती रेमिटेंस सुविधा अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे वित्तीय समावेश हासिल करने में काफी मदद मिलेगी।

3. **कृषि एडवांस (अग्रिम राशि):** एससीबीज में किसानों के खातों की संख्या 2006 में 63 लाख थी जो मार्च 2010 में बढ़ कर 176 लाख हो गई। ऋण के हिसाब से देखें तो 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों का कुल बैंक ऋण में 44 प्रतिशत हिस्सा था। सार्थक वित्तीय समावेश हासिल करने के लिए बैंकों को ऋण देते समय बड़े किसानों की तुलना में छोटे किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

4. **एमएसएमई – वित्तीय बहिष्कार:** चौथी जनगणना के आंकड़े एमएसएमई क्षेत्र (2006–07) के बारे में यह बताते हैं कि केवल 5.18 प्रतिशत इकाइयों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) ने संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त किये थे, जबकि 2.05 प्रतिशत इकाइयों ने गैर–संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त किये थे; यानी 92.77 प्रतिशत इकाइयों के पास वित्त नहीं था या वे स्व–वित्त पर निर्भर थीं। कृषि जैसे क्षेत्रों में विशेष लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए ताकि एमएसएमई क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत अगले 5 वर्षों में ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंच हासिल कर सके और 10 वर्षों के अंदर पूरे क्षेत्र को परिधि में ले लिया जाये।

5. **ऋण की भेदकारी दर (डीआरआई):** आरबीआई के नियमों के अनुसार सभी बैंकों को छोटे व्यवसाय चलाने के लिए निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को उनकी बकाया अग्रिम राशियों का कम से कम एक प्रतिशत देना होता है। किंतु यह शर्म की बात है कि इस छोटे से लक्ष्य का भी सम्मान नहीं किया जा रहा।

6. **अल्पसंख्यकों का समावेश:** हर शाखा के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए और अनुपालन करना (अनुशासनात्मक कार्रवाई की कीमत पर) अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकता क्षेत्र की 15 प्रतिशत अग्रिम राशियां वितरित करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

7. **शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेश:** आम तौर पर वित्तीय समावेश का केंद्र ग्रामीण

निर्धन रहे हैं और शहरी क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। निश्चित समय के भीतर शहरी निर्धनों का पूर्ण वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए और बैंकों के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए।

8. **बीएसबीडी खाते:** यह सूचित किया गया है कि लगभग आधे बीएसबीडी खाते निष्क्रिय पड़े हैं। बीएसबीडी खातों के प्रभावकारी उपयोग के लिए 11 जुलाई 2014 को भारत सरकार द्वारा सभी खाताधारकों के लिए घोषित 5000 रु. की ओडी सुविधा का प्रचार–प्रसार और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए और सरकार को सभी बीएसबीडी खाताधारकों के साथ समस्त वित्तीय लेनदेन करने के लिए बीएसबीडी खातों का उपयोग करना चाहिए।

आवश्यक नीतिगत पहलकदमियां

1. **प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों और हकदारियों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार:** बैंकों और सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और ठोस प्रचार अभियान चलाना चाहिए कि सभी नागरिक औपचारिक वित्तीय दुनिया में शामिल होने के अपने अधिकारों और बैंक ऋण संबंधी अपनी हकदारियों के बारे में जागरूक बनें।

2. **स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा:** वित्त की दुनिया के कार्य और बैंकों तथा अन्य औपचारिक वित्तीय ढांचों में उपलब्ध सामूहिक वित्तीय परिसंपत्तियों की नागरिकों की हकदारियों के बारे में व्यापक और व्यवस्थित समझ सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम के अंग के रूप में हाई स्कूल से ही वित्तीय साक्षरता के मॉड्यूल्स शामिल किये जाने चाहिए।

3. **बैंकिंग का मानवीय चेहरा:** ग्रामीण शहरी निर्धनों की जो अधिकतर निरक्षर और अर्ध–साक्षर हैं – समस्याओं से निबटने के लिए बैंकों को बैंकिंग के मानवीय पक्ष के संबंध में अगली कतार के कर्मचारियों और प्रबंधकों के लिए परिप्रेक्ष्य – निर्माण कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। यह देखा गया है कि बैंक अधिकारियों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में निर्धनता के मुद्दों और कारणों पर या सीमांतीकृत लोगों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय समावेश की जरूरत पर पाठ्यक्रम शामिल नहीं होते।

4. **देशज भाषाएं:** समस्त बैंकिंग लेनदेन के विभिन्न रूपों को देशज भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि विस्तृत वित्तीय समावेश को सुगम बनाया जा सके।

5. **बनी–बनाई सेवाएं:**

   - बैंकों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उचित दरों पर निर्धनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बने–बनाये और नवाचारपूर्ण उत्पाद तैयार करने चाहिए।
   - ग्रामीण और शहरी निर्धनों को साहूकारों से ऋण लेने से मुक्ति दिलाने के लिए बैंकों को सरलीकृत ऋण संवितरण प्रक्रियाएं तैयार करनी चाहिए और साथ ही अपनी कार्य–प्रक्रियाओं और दस्तावेज संबंधी जरूरतों में लचीलापन भी लाना चाहिए।

6. **कम दस्तावेजीकरण:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतर निर्धन और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के पास किराये के अनुबंध, व्यापार लाइसेंस, आडिटिड लेखा विवरण आदि जैसे दस्तावेज नहीं होते। सभी बैंकों को शिथिल केवाईसी मानदंडों के आधार पर और उक्त जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों पर जोर न देते हुए सभी डीआरआई और सूक्ष्म ऋणों का संसाधन करने हेतु निर्देश जारी करने चाहिए।

7. **पुरानी पड़ चुकी और व्यर्थ की शर्तें:** आरबीआई और भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ परिपत्र और निर्देश वित्तीय समावेश को सुगम बनाने की बजाये उसमें अड़चन डालते हैं। सभी पुराने पड़ चुके और बेकार के निर्देशों की छंटाई करने और वित्तीय समावेश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं और कार्य–प्रक्रियाओं में न्यूनतम और उपयुक्त शर्तों को लागू करने के लिए सभी मौजूदा शर्तों का विस्तृत अध्ययन कराया जाना चाहिए। इन पर अनिवार्य रूप से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो निर्धारित समय सीमा के अंदर – अच्छा रहे कि तीन वर्षों में – इन्हें संशोधित किया जाना चाहिए।

8. **समर्पित बैंक कर्मचारी – जवाबदेही और प्रोत्साहन:** प्राथमिकता क्षेत्र के लिए बैंकों के पास समर्पित कर्मचारी नहीं हैं और न ही प्राथमिकता क्षेत्र में काम न करने या कम काम करने के संबंध में किसी कर्मचारी की कोई जवाबदेही है।

   यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण फार्म ऑन लाइन या ब्रांच स्तर पर स्वीकार किये जायें, रसीदें दी जायें और निर्धारित समय में संसाधन सुनिश्चित किया जाये और ऋण मंजूर किये जायें या लिखित में नामंजूर करने के कारण दिये जायें, सुपरिभाषित प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्राथमिक क्षेत्र ऋण से जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन का प्रावधान होना चाहिए।

9. **सामाजिक बैंकिंग में कर्मचारियों का अभिमुखीकरण और ऋणों की मंजूरी और वसूली में सरकारी विभागों के साथ उनका नेटवर्क:** बैंकों के कर्मचारियों को समावेशपूर्ण संवृद्धि, प्रभावकारी सामाजिक बैंकिंग के महत्व और समग्र आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित शांतिपूर्ण समाज प्राथमिकता क्षेत्रों में निवेश करने की जरूरत के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता।

   इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋणों के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को बैंकरों की अनुपस्थिति में सरकारी अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाता है और ये सरकारी अधिकारी उन ऋण लेने वालों से – जिन्हें सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण दिया जाता है – ऋण–राशियों की वसूली में बैंकों की मदद नहीं करते। यदि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभवकारी रूप से हासिल करना है और समय पर तथा पूरे ऋणों की वसूली करनी है तो बैंकों और संबंधित सरकारी विभागों के बीच आपसी जवाबदेही जरूरी है।

10. **सरकार को संसाधन प्रक्रिया और वसूली लागतों को सब्सीडाइज करना चाहिए:** क्योंकि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के लिए बड़ी संख्या में ऋण आवेदन पत्रों का संसाधन और सत्यापन करना पड़ता है और ऋणों की वसूली के लिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनानी होती है, इसलिए सामाजिक बैंकिंग के लिए कहीं अधिक कर्मचारियों की जरूरत होती है। इस तरह बैकों को सामाजिक बैंकिंग पर कहीं अधिक लागत आती है और उनके लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है; और इस प्रक्रिया में वित्तीय समावेश के उचित कार्यान्वयन के सभी पहलुओं को क्षति पहुंचती है।

    क्योंकि बैंक मूल रूप से वाणिज्यिक उद्यम हैं, इसलिए वे हानि उठा कर काम नहीं कर सकते। यह प्रस्तावित किया जाता है कि सरकार को वित्तीय समावेश को प्रभावकारी और अधिकतम रूप में हासिल करने के लिए सामाजिक बैंकिंग के कार्यान्वयन में आने वाली सभी अतिरिक्त लागतों को सबसीडाइज करना चाहिए।

प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना

1. बीसीज का अभिमुखीकरण और सुगमीकरण

- बीसीज पर्याप्त आय प्राप्त नहीं कर रही हैं। उन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित किया जाना चाहिए ताकि एक सक्षम व्यावसायिक अवसर के रूप में वित्तीय

समावेश को प्रोन्नत करने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन मिले।

- बैंकों को उचित दूरी पर ईंट और गारे की छोटी शाखाएं खोलनी चाहिए ताकि बीसीज को नकद प्रबंधन, प्रभावकारी सुपरविजन और ग्राहक देखरेख के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।
- बैंकों को बीसीज के प्रभावकारी कार्यचालन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने चाहिए।

2. **बीसीज के रूप में पीएसीज का उपयोग:** ग्रामीण क्षेत्रों में पीएसीज की पहुंच बैंक शाखाओं से कहीं अधिक हैं। बैंक व्यवसाय सह–संबंधियों के रूप में इस सबसे बड़े ग्रामीण सहकार नेटवर्क का उपयोग कर सकती हैं। हाल के नाबार्ड के परिपत्र में भी यह उल्लेख किया गया है कि पीएसीज का उपयोग सीसीबीज/एससीबीज के लिए बीसीज के रूप में किया जा सकता है।

3. **अत्यधिक छोटी शाखाएं:** 8–10 बीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए आधार शाखा और बीसीज के बीच में अत्यधिक छोटी शाखाएं स्थापित की जा सकती हैं।

4. **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) – बैंक संपर्क – पहुंच और बकाया:** हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में एसएचजी बैंक संपर्क सफल रहा है, पर यह भारत में समान रूप से व्याप्त नहीं हुआ है, विशेषकर मध्य और उत्तर पूर्व जैसे वित्तीय रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में इसका फैलाव निम्न है। इसके अलावा, 31 मार्च 2011 तक एसएचजीज के बकाया बैंक ऋण सकल बैंक ऋण का मात्र 1.93 प्रतिशत थे। यह देखा गया है कि एसएचजीज अपने गठन के एक वर्ष बाद भी बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। एसएचजीज को ऋणों का उपयुक्तप्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंक और शाखा के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए।

5. **निजी क्षेत्र के बैंक – ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने की जरूरत:** मार्च 2013में निजी बैंकों की ग्रामीण शाखाएं उनकी कुल शाखाओं का मात्र 13.3 प्रतिशत थीं (जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में यह आंकड़ा 33.1 प्रतिशत है)। यह अत्यंत आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के बैंक अपनी ग्रामीण शाखाओं की संख्या को बढ़ायें।

6. **वित्तीय रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में आरआरबीज की पहुंच:** हालांकि आरआरबीज की भारत के मध्य (मार्च 2012 तक 30.7 प्रतिशत) और पूर्वी क्षेत्रों (23.1 प्रतिशत)

में अधिक उपस्थिति है, पर इन क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्कार अधिक गहन है और यहां और अधिक पहुंच बनाने की जरूरत है।

7. **डाकखाने:** डाकखाने बैंकों की शाखाओं की तुलना में ग्रामीण लोगों के अधिक करीब होते हैं। 31 मार्च, 2011 तक भारत में 1,54,866 डाकखाने थे जिनमें से 1,39,040 (89.8 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थे। यह सुनिश्चित करने के लिए चौतरफा प्रयास किये जाने चाहिए कि डाकखाने और अधिक तथा अधिक सक्रिय भूमिका निभायें और सभी हितधारकों के लाभ के लिए बीसीज बनें।

8. **सफेद लेबल वाले एटीएम:** आरबीआई योग्य निजी संस्थाओं को सफेद लेबल वाले एटीएम्स शुरू करने की अनुमति देने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे एटीएम्स के विस्तार को सुगम बनाने की जरूरत है।

9. **सीएसआर (निगमित सामाजिक दायित्व) के माध्यम से निजी निगमित पहलकदमियां:** कुछ बड़े निजी निगमों ने अच्छे परिणामों के साथ ई–चौपाल/ई–सागर (आईटीसी), हरियाली किसान बाजार (डीसीएम), प्रोजेक्ट शक्ति (एचयूएल) आदि जैसी परियोजनाएं हाथ में ली हैं। और अधिक निगमों को अपनी कंपनियों की सीएसआर पहलकदमियों के माध्यम से अपने क्षेत्र में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10. **प्रौद्योगिकी एप्लीकेशंस:** बैंकों को सार्वभौम वित्तीय समावेश हासिल करने के लिए आईसीटी द्वारा सक्षम बनाया गया वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्हें ग्रामीण और बिना बैंकों वाले क्षेत्रों में एटीएम नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे टिकट लेनदेन के लिए घरेलू कार्ड्स का उपयोग करना चाहिए। आरबीआई को देश में मोबाइल बैंकिंग का विस्तार करने के लिए एसएमएस–आधारित निधि हस्तांतरण के लिए विकल्प संचालित करने चाहिए।

11. **सीबीएस प्लेटफार्म की विस्तार क्षमता:** देश के सघन वित्तीय प्रयासों के कारण काम की बढ़ती मात्रा से निबटने के लिए बैंकों/आरआरबीज को अपने सीबीएस प्लेटफार्म की विस्तार क्षमता सुनिश्चित करना चाहिए।

12. **अवसंरचना विकास:** वित्तीय समावेश का विस्तार करने के लिए डिजिटल और भौतिक संपर्क और बिजली की अबाध आपूर्ति जैसी उपयुक्त अवसंरचनाएं पूर्व–शर्त हैं। भारत में 6 लाख गांवों में से लगभग 80,000 गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है और बिजली की समस्याएं सीधे–सीधे बैंकों के कार्य को प्रभावित करती हैं और वित्तीय समावेश की पहलकदमियों में रुकावट पैदा करती हैं।

विस्तृत रिपोर्ट को देखने के लिए आप वाणी की वेबसाइट पर जाएं: www.vaniindia.org

वाणी के प्रकाशनों की सूची

- नागरिक समाज की जवाबदेही के सिद्धांत और व्यवहार (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक भूमंडलीय अभियान (अंग्रेजी)
- स्वैच्छिक संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय सुशासन के लिए मॉडल नीतियां
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सुशासन पर एक हैंडबुक
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र की स्थिति (प्राइमर) (हिंदी और अंग्रेजी)
- सहायता प्रभावकारिता चर्चा में नागरिक समाज की संलग्नता
- स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच बदलती गतिशीलता
- सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना
- भारत के भूमंडलीय पदचिन्ह
- भारत की विकास सहयाताः रुझान, चुनौतियां और सीएसओज के लिए निहितार्थ
- जी 20 में भारत की भूमिकाः एक नागरिक समाज दृष्टिकोण
- धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- महिलाओं के साथ काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां (अंग्रेजी और हिंदी)
- स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- जमीनी स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं की चुनौतियां – अध्ययन रिपोर्ट का प्राइमर (अंग्रेजी और हिंदी)
- जल और स्वच्छता के संबंध में स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिका और योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- दलितों को लेकर कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान और चुनौतियां
- शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, जल और स्वच्छता के विषयगत मुद्दों को लेकर काम करने में सीएसआर का योगदान (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति की जरूरत (अंग्रेजी और हिंदी)
- राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति पर पुनर्विचार और राष्ट्रीय स्वैच्छिक कार्य नीति का नीतिगत सार (अंग्रेजी और हिंदी)
- भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए समर्थकारी वातावरण – एक अध्ययन रिपोर्ट (अंग्रेजी)

हेनरिक बोल फाउंडेशन का परिचय

"हेनरिक बोल फाउंडेशन (एचबीएफ) जर्मनी की एक पर्यावरण–उन्मुख राजनीतिक फाउंडेशन है जो ग्रीन्स/एलाएंस से जुड़ी है। इसका मुख्यालय बर्लिन में है। आज अपने 30 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों के माध्यम से हेनरिक बोल फाउंडेशन विश्व भर में नागरिक शिक्षा कार्यकलाप और परियोजनाएं चलाती है और उन्हें सहायता प्रदान करती है।

एचबीएफ अपने को एक पर्यावरण उन्मुख विचार–संस्था और अंतर्राष्ट्रीय नीति नेटवर्क के रूप में देखती है जो कि सरकारी और गैर–सरकारी कार्य–पक्षों के साथ कार्य करता है और जेंडर समानता, टिकाऊ विकास और जनतंत्र तथा मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में वर्ष 2002 से अपनी उपस्थिति के साथ एचबीएफ का भारत कार्यालय देश में हितधारकों और साझेदारों के साथ पारस्परिक संपर्क का समन्वयन करता है। इसके कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों में जलवायु और संसाधन नीति, जेंडर परिप्रेक्ष्य से सामाजिक–आर्थिक नीति, जनतंत्र की गतिशीलता और नयी भूमंडलीय व्यवस्था में भारत की भूमिका शामिल हैं।"

वाणी का परिचय

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी) स्वैच्छिक संस्थाओं का एक शीर्ष निकाय है। वर्ष 1988 में स्थापित यह संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रोन्नतिकर्ता/संरक्षरक और उसकी सामूहिक आवाज के रूप में कार्य करती है।

वाणी का आधार

- भारत के 25 राज्यों में फैली 8000 स्वैच्छिक संस्थाएं हैं।
- यह स्वैच्छिक क्षेत्र के संबंध में प्रकाशनों, शोध, लेखों और जानकारी का एक संसाधन केंद्र है।

लक्ष्य

- एक मंच में रूप में स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देना और स्वैच्छिक कार्रवाई के लिए जगह बनाना।
- एक नेटवर्क के रूप में भारत में स्वैच्छिक कार्रवाई का एक सचमुच राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने के लिए क्षेत्र के साझे मुद्दों और सरोकारों को एकीकृत करना। इसके अलावा वाणी बदलाव के एकजुट और टिकाऊ आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय स्वैच्छिक क्षेत्र के विभिन्न प्रयासों और पहलकदमियों के बीच संपर्क बनाती है।
- एक एसोसिएशन के रूप में; मूल्य आधारित स्वैच्छिक कार्रवाई और विशेषकर अपने सदस्यों के बीच दीर्घकालिक टिकाऊपन को पोषित की दिशा में कार्य करना।

कार्य के क्षेत्र

- स्वैच्छिक क्षेत्र में सुशासन के तौर–तरीकों को बढ़ावा देना
- नेटवर्कों को मजबूत बनाना
- स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र आवाज को रूप प्रदान करना
- स्वैच्छिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली नीतियों और कानूनों के संबंध में शोध और पैरवी करना।

वालंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया (वाणी)
बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110 048
फोन : 01129228127, 29226632, टेलिफैक्सः 011–41435535
ईमेलः info@vaniindia.org,
वेबसाइटः www.vaniindia.org